हमारी पंचायत, हमारा काम

पंचायत प्रतिनिधियों के लिए
अधिकार एवं दायित्व की सरल जानकारी

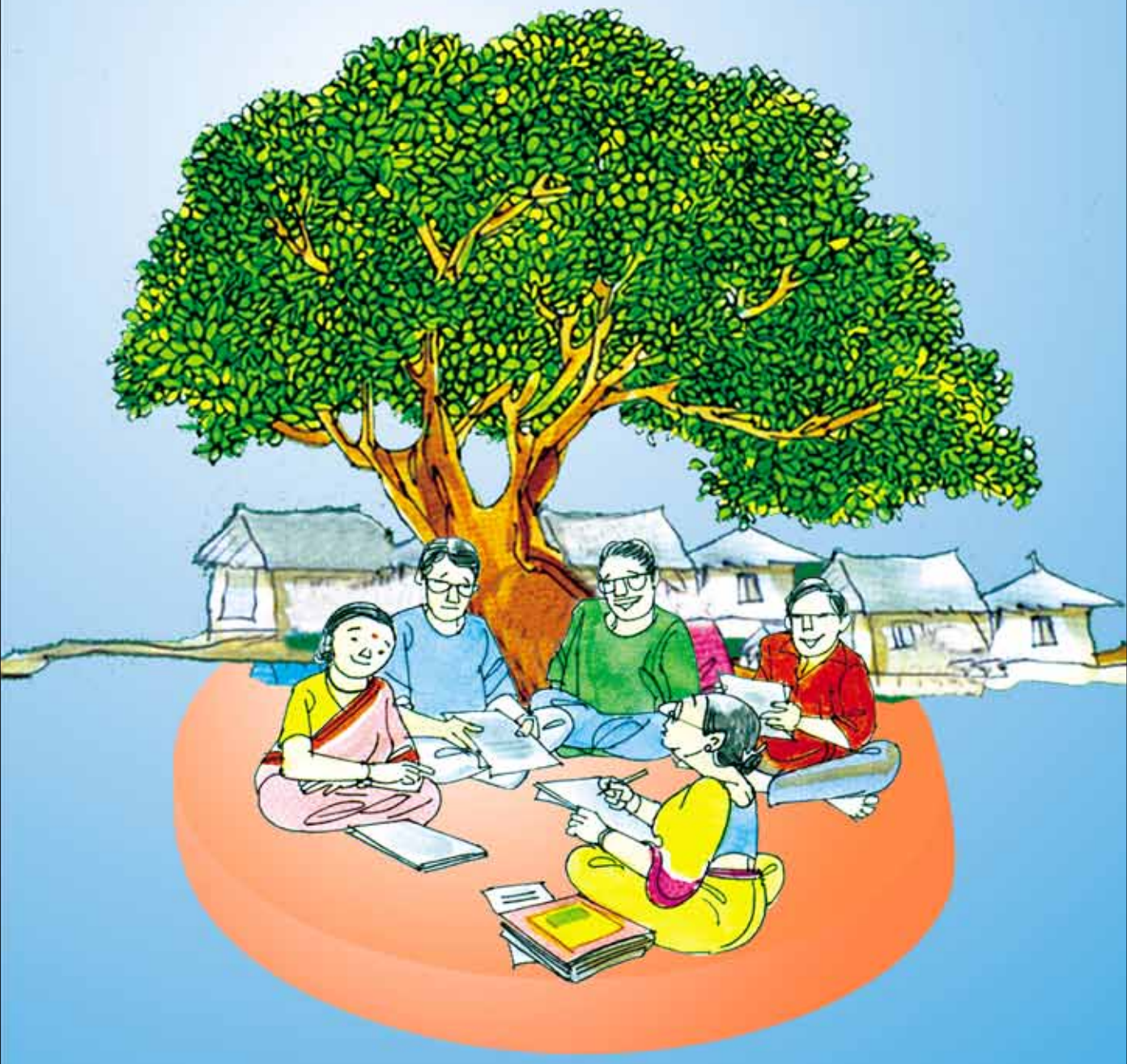

झारखंड पंचायत महिला रिसोर्स सेंटर

राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, हेहल, रांची - 834005

jpwrc4@gmail.com • jharkhand-panchayat.org

unicef
unite for children

हमारा स्कूल, हमारी शिक्षा

भारत के संविधान की धारा 21 ए के अनुसार छह से 14 साल तक के बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार है। शिक्षा का अधिकार 2009 में भी यह बात कही गयी है। इसके अनुसार क्लास एक से आठ तक किसी बच्चे को स्कूल से निकाला नहीं जाएगा, फेल भी नहीं किया जाएगा, शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना नहीं दी जाएगी, एडमिशन के लिए बच्चे या अभिभावक का टेस्ट नहीं होगा और स्कूल के एक किलोमीटर परिधि के वंचित एवं गरीब बच्चों को कम से कम 25 प्रतिशत सीट दी जाएगी।

सर्व शिक्षा अभियान में 6-14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। प्राथमिक विद्यालय 01-05 क्लास तक होते हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालय 5-8 तक होते हैं। बच्चों को पुस्तकें निःशुल्क दी जाती हैं। स्कूल के बेहतर संचालन और शिक्षा की स्थिति सुधारने में पंचायत की बड़ी भूमिका है।

विद्यालय प्रबंधन समिति में पंचायत की भूमिका

- शिक्षा का अधिकार - 2009 की धारा 21 के अनुसार पहली से आठवीं तक के हर स्कूल में विद्यालय प्रबंधन समिति बनाना जरूरी है। यह नियम उन स्कूलों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें सरकारी सहायता नहीं मिलती। विद्यालय प्रबंधन समिति का कार्यकाल तीन साल का होगा।
- विद्यालय प्रबंधन समिति में 16 सदस्य होंगे। इनमें से बच्चों के 12 अभिभावक होंगे जिनमें कम-से-कम 6 महिला जरूर हों। वंचित वर्गों का भी उचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इन 12 में से किसी एक अभिभावक को अध्यक्ष तथा दूसरे को उपाध्यक्ष चुना जायेगा।
- अन्य चार सदस्य इस प्रकार होंगे - पंचायत या नगर निकाय का एक सदस्य, स्कूल का एक टीचर, जिसे सभी टीचर मिलकर चुनेंगे, उस स्कूल की बाल संसद का एक सदस्य तथा हेडमास्टर या कोई वरीय शिक्षक, जिसे समिति का संयोजक बनाया जायेगा।
- स्कूल प्रबंधन समिति के प्रमुख काम हैं - यह देखना कि शिक्षक हर दिन समय पर आएं, समय पर कोर्स पूरा हो, कोई शिक्षक ट्यूशन न पढ़ाये, आसपास के सभी बच्चों का नामांकन हो, बच्चे नियमित स्कूल आएं, दोपहर के भोजन का सही कार्यान्वयन हो पाए।
- सरकारी स्कूलों में सभी बच्चों को दोपहर का भोजन मिलता है। माता समिति एवं सरस्वती वाहिनी द्वारा भोजन बनाया जाता है। मध्याह्न भोजन की राशि स्कूल प्रबंधन समिति तथा सरस्वती वाहिनी के संयोजक के संयुक्त हस्ताक्षर से निकाली जाती है। सरस्वती वाहिनी के सदस्य द्वारा भोजन के लिए तेल, मसाला, ईंधन इत्यादि खरीदा जाता है। एफसीआई के गोदाम से अनाज मिलता है।
- अब प्राथमिक विद्यालय को 5000 तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय को 7000 रुपये प्रतिवर्ष स्कूल विकास राशि मिलती है। स्कूल में क्लासरूम की संख्या के अनुपात में हर साल मरम्मत राशि भी मिलती है। प्रति शिक्षक 500 रुपये की दर से प्रतिवर्ष शिक्षण सहायक सामग्री हेतु दिये जाते हैं।
- सभी प्रकार की राशि स्कूल प्रबंधन समिति के बैंक खाते में आती है। इसका संचालन समिति के अध्यक्ष एवं संयोजक के संयुक्त हस्ताक्षर से होता है।

पंचायतों को मिले अधिकार

- ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र के सभी विद्यालयों का एक रजिस्टर बनाकर उसे लगातार अद्यतन करना।
- सभी प्राथमिक विद्यालयों के मानव संसाधनों तथा उनमें उपलब्ध सुविधाओं का डाटाबेस बनाना।
- विद्यालय प्रबंधन समिति की भागीदारी से सर्व शिक्षा अभियान योजना सहित शिक्षा योजनाएं बनाना।
- स्कूल में सभी बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करना।
- प्राथमिक शिक्षा को बीच में ही छोड़ देने को रोकने का प्रयास करना।
- विद्यालय प्रबंधन समिति के माध्यम से लाभुकों का चयन करना, छात्रवृति बांटना, पढ़ाने और सीखने की सामग्री का वितरण करना।

- मध्याह्न भोजन बनाने और वितरण संबंधी काम का पर्यवेक्षण करना।
- प्राथमिक स्कूलों का सोशल ऑडिट करने तथा सर्व शिक्षा अभियान एवं प्रौढ़ शिक्षा के लिए ग्राम सभा करना।
- ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद के निर्वाचित पदाधिकारी अपने क्षेत्र के प्रारंभिक विद्यालयों का निरीक्षण कर सकेंगे। उनकी निरीक्षण टिप्पणी के आलोक में विद्यालय प्रबंधन समिति के द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।
- पंचायत समिति की बैठकों में प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी भाग लेकर वांछित जानकारी उपलब्ध करायेंगे। जिला परिषद् की बैठकों में जिला शिक्षा अधीक्षक शामिल होंगे।
- जिला शिक्षा अधीक्षक एवं अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी के कार्यों के संबंध में जिला परिषद् कोई भी प्रतिवेदन राज्य सरकार को भेज सकेगी तथा आवश्यक अनुशंसा कर सकेगी।
- प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक एवं पारा शिक्षक ग्राम पंचायत के अधीन रहकर अपना कार्य करेंगे। उनकी उपस्थिति का प्रमाणन, छुट्टियों की मंजूरी और यात्रा कार्यक्रमों का अनुमोदन मुखिया करेंगे।
- ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को लघु दंड देने की अनुशंसा जिला शिक्षा अधीक्षक से कर सकेगी।
- प्राथमिक विद्यालयों की प्रबंधन समिति को हस्तांतरित कोष का पर्यवेक्षण पंचायती राज संस्थाएं करेंगी।

आप क्या कर सकते हैं?

- स्कूल के निरीक्षण के दौरान आप यह देख सकते हैं कि स्कूल समय पर खुलता और बंद होता है अथवा नहीं?
- क्षेत्र के 06-14 साल के सभी बच्चों का नामांकन हुआ है अथवा नहीं। निरीक्षण के समय कितने बच्चे उपस्थित हैं? स्कूल में बच्चों की कम उपस्थिति का क्या कारण है?
- स्कूल में दीवार पर प्रतिदिन बच्चों की उपस्थिति की सूचना लिखी जाती है अथवा नहीं?
- स्कूल में कितने शिक्षक कार्यरत हैं तथा निरीक्षण के समय कितने मौजूद हैं? क्या सभी शिक्षक नियमित रूप से आते हैं?
- स्कूल भवन की स्थिति क्या है? फर्नीचर, बेंच, डेस्क वगैरह पर्याप्त है अथवा नहीं?
- छात्रों एवं छात्राओं के लिए अलग-अलग शौचालय है अथवा नहीं? पेयजल की व्यवस्था कैसी है? भोजन से पहले बच्चे साबुन से हाथ धोते हैं अथवा नहीं?
- दोपहर का भोजन बनाने की जगह साफ-सुथरी एवं बर्तन स्वच्छ है या नहीं?
- प्रतिदिन औसत कितने बच्चों को दोपहर का भोजन मिलता है और निरीक्षण के दिन कितने बच्चों को मिला? दोपहर का भोजन साप्ताहिक मीनू के अनुसार मिलता है अथवा नहीं?
- स्कूल में खेल का मैदान एवं खेल सामग्री है अथवा नहीं?
- निःशक्त बच्चों के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं?
- स्कूल प्रबंधन समिति बनी है या नहीं, इसकी बैठक होती है या नहीं?

पंचायत की कोशिश से क्या होगा लाभ?

- स्कूल में होगा अधिक बच्चों का नामांकन
- पढ़ाई बीच में छोड़ने की आदत सुधरेगी
- स्कूल की सुविधा बेहतर होगी, शिक्षा भी अच्छी मिलेगी
- शिक्षक और अभिभावकों में जवाबदेही बढ़ेगी
- शिक्षा का अधिकार सही मायने में लागू होगा

स्कूल को मिलने वाला वार्षिक अनुदान

- शिक्षण सामग्री (टीएलएम) - प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रति शिक्षक पांच सौ रूपये
- स्कूल अनुदान - (प्राथमिक) - पांच हजार रूपये
- स्कूल अनुदान - (उच्च प्राथमिक) - सात हजार रूपये
- स्कूल रखरखाव अनुदान - (तीन क्लास रूम तक) - पांच हजार रूपये
- स्कूल रखरखाव अनुदान - (तीन से ज्यादा क्लास रूम) - दस हजार रूपये

नए स्कूल के लिए अनुदान

- नए प्राथमिक स्कूल के लिए शिक्षण उपकरण अनुदान - बीस हजार रूपये (एक बार)
- नए उच्च प्राथमिक स्कूल के लिए शिक्षण उपकरण अनुदान - पचास हजार रूपये (एक बार)

शिक्षा का अधिकार के अनुसार हर स्कूल के लिए जरूरी चीजें -

- हर क्लास के लिए एक शिक्षक
- प्राथमिक स्कूल में हर 30 बच्चों पर एक शिक्षक
- उच्च प्राथमिक स्कूल में हर 35 बच्चों पर एक शिक्षक
- हर स्कूल में कम-से-कम दो शिक्षक
- उच्च प्राथमिक स्कूल में हर विषय के लिए शिक्षक
- छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग शौचालय
- शुद्ध पेयजल
- दोपहर का भोजन के लिए रसोईघर
- खेलकूद का मैदान एवं खेल सामग्री
- पुस्तकालय
- विशेष शारीरिक स्थिति के बच्चों की सुविधा के लिए रैंप

झारखंड में शिक्षा का अधिकार के अनुसार बच्चों के अधिकार

- निशुल्क पाठ्य पुस्तकें
- सभी छात्राओं के लिए दो सेट निशुल्क पोशाक
- अनुसूचित जाति, जनजाति और बीपीएल वर्ग के सभी छात्रों के लिए दो सेट निशुल्क पोशाक
- आठवीं से दसवीं तक सभी छात्र-छात्राओं के लिए निशुल्क साइकिल (माध्यमिक शिक्षा विभाग)
- अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्र-छात्राओं के लिए निशुल्क साइकिल (कल्याण विभाग)
- अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्र-छात्राओं के लिए छात्रवृति (कल्याण विभाग)

किसी बच्चे के अधिकार का हनन होने पर बाल अधिकार संरक्षण राज्य आयोग में संपर्क करें।

हमारा स्वास्थ्य, हमारा उपकेंद्र

ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य के लिए पंचायत की बड़ी भूमिका है। इसके लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को सही तरीके से लागू करना जरूरी है।

आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य उपकेंद्र है। इसके संचालन में पंचायत की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें एक या दो एएनएम होती है। वह केंद्र में आये मरीजों की देखभाल करने व जरूरत पड़ने पर रेफर करने के अलावा गांव में जाकर भी स्वास्थ्य सेवा देती है।

हर गांव में एक स्वास्थ्य सहिया होती है। इसे ग्राम सभा में चुना जाता है। हर गांव में ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति बनती है। इसमें 8-10 सदस्य होते हैं। सहिया इसकी सचिव होती है। मुखिया इसका पदेन अध्यक्ष है। इस समिति के 50 फीसदी पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। समिति को हर साल दस हजार रुपये अनटाइड फंड मिलता है। यह राशि समिति के बैक खाते में आती है। इसका संचालन मुखिया, आंगनबाड़ी सेविका एवं सहिया इनमें से किन्हीं दो लोगों द्वारा किया जाता है। सहिया को अपने काम के बदले प्रोत्साहन राशि मिलती है।

हरेक स्वास्थ्य उपकेंद्र को भी रखरखाव के लिए सालाना दस हजार रुपये मिलते हैं। इसका उपयोग एएनएम के माध्यम से किया जाता है। हर गुरुवार एवं शनिवार को आंगनबाड़ी केंद्रों पर ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस मनाया जाता है। इसके आयोजन का दायित्व एएनएम पर है। वह आंगनबाड़ी सेविका एवं सहिया की मदद लेती है। हर आंगनबाड़ी में महीने में एक बार यह आयोजन होना चाहिए।

स्वास्थ्य उपकेंद्र पर उपलब्ध प्रमुख सेवाएं - मां एवं बच्चे का स्वास्थ्य परीक्षण, परिवार नियोजन, विभिन्न रोगों की देखभाल, टीकाकरण, टीबी, लेप्रोसी, अंधापन निवारण, एचआइवी एड्स, स्वास्थ्य शिक्षा इत्यादि।

पंचायतों के अधिकार एवं कर्तव्य

- मुखिया उप-स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष होंगे। उपमुखिया इसके उपाध्यक्ष होंगे तथा एएनएम को सदस्य सचिव का दायित्व होगा।
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत हर प्रखंड में प्रखंड स्वास्थ्य मिशन बनाया जाएगा। प्रखंड प्रमुख इसके अध्यक्ष होंगे। अन्य पंचायत प्रतिनिधि भी इस समिति में होंगे।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रोगी कल्याण समिति तथा अस्पताल प्रबंधन समिति में पंचायतों का प्रतिनिधित्व होगा।
- सदर अस्पताल की रोगी कल्याण समिति तथा अस्पताल प्रबंधन समिति में जिला परिषद सदस्यों का प्रतिनिधित्व रहेगा।
- पंचायत में स्वास्थ्य संबंधी सभी विषयों का सर्वेक्षण करके ग्राम पंचायत सभी आंकड़ों का डाटाबेस बनाकर पंचायत समिति को भेजेगी। इस आधार पर पंचायत समिति एवं जिला परिषद द्वारा जिला स्तरीय डाटाबेस बनाया जाएगा।
- ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति तथा एचएससी स्वास्थ्य समिति के सहयोग से ग्राम पंचायत द्वारा एक स्वास्थ्य योजना बनायी जाएगी।
- प्रखंड प्रमुख की अध्यक्षता में सेमिनार एवं कार्यशाला करके ग्राम स्वास्थ्य योजनाओं पर विचार किया जाएगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक ऐसे आयोजन का समन्वयक होगा। इस क्रम में ब्लॉक हेल्थ एक्शन प्लान बनाया जायेगा।
- पंचायत, प्रखंड तथा जिला स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी किसी अधिसंरचना के निर्माण हेतु जमीन चयन पंचायत द्वारा किया जाएगा।
- स्वास्थ्य अधिसंरचनाओं के रखरखाव, मरम्मत एवं संरक्षण में पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका होगी।
- पंचायत समिति तथा जिला परिषद को यह अधिकार होगा कि स्वास्थ्य विभाग संबंधी किसी निर्माण कार्य या किसी परिसम्पत्ति के संबंध में किसी शिकायत की जांच करे।
- स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों की योजना बनाने, प्रचार प्रसार तथा क्रियान्वयन में पंचायत राज संस्थाओं की भागीदारी होगी। लाभुकों के चयन में भी उनकी भूमिका होगी।
- स्वास्थ्य संबंधी सामग्रियों के वितरण, स्कूलों में स्वास्थ्य कार्यक्रम, ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस इत्यादि में समन्वय में पंचायतों की भूमिका होगी।
- स्थानीय स्वास्थ्य कर्मियों, एएनएम, नर्स, सहिया इत्यादि के कार्यो का पर्यवेक्षण ग्राम पंचायत द्वारा किया जाएगा।
- प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य कर्मियों, डाक्टर, एएनएम, नर्स, पारा मेडिकल कर्मी इत्यादि के कार्यो का पर्यवेक्षण पंचायत समिति द्वारा किया जाएगा।
- जिला स्तरीय स्वास्थ्य कर्मियों, डाक्टर, एएनएम, नर्स, पारा मेडिकल कर्मी, जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई इत्यादि के कार्यो का पर्यवेक्षण जिला परिषद द्वारा किया जाएगा।
- ग्राम सभा के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की समुदाय आधारित निगरानी, सोशल ऑडिट तथा जनसंवाद करके ग्राम पंचायत द्वारा इसकी रिपोर्ट पंचायत समिति को भेजी

जाएगी। पंचायत समिति भी इन आयोजनों का पर्यवेक्षण करेगी तथा पंचायतों की रिपोर्ट के आधार पर प्रखंड स्तरीय अनुशंसा रिपोर्ट तैयार करेगी। पंचायत समिति द्वारा ऐसे मामलों में सुधार संबंधी समुचित कदम भी उठाएं जाएंगे।

- सोशल ऑडिट के लिए जिला परिषद योजना बनाएगी तथा इसका पर्यवेक्षण करेगी।
- तीनों स्तर की पंचायतों द्वारा बारह लाख रूपये से कम वार्षिक बिक्री वाले छोटे खाद्य विक्रेताओं का निबंधन किया जाएगा। यह कार्य एफएसएसए लाईसेंस एवं निबंधन नियमावली के तहत किया जाएगा।
- स्वास्थ्य उप-केंद्र के सभी कर्मियों का वेतन मुखिया द्वारा निर्गत उपस्थिति प्रमाणपत्र के आधार पर मिलेगा।
- स्वास्थ्य उप केंद्र के सभी कर्मियों के आकस्मिक अवकाश के लिए चिकित्सा पदाधिकारी की अनुशंसा के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा मंजूरी दी जायेगी।
- प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य कर्मियों के कार्यो एवं उपस्थिति की निगरानी प्रखंड प्रमुख द्वारा करके जिला स्तर पर रिपोर्ट भेजी जाएगी।
- प्रखंड स्तर के अराजपत्रित स्वास्थ्य कर्मियों के आकस्मिक अवकाश के लिए चिकित्सा पदाधिकारी की अनुशंसा के आधार पर प्रखंड प्रमुख द्वारा मंजूरी दी जाएगी।
- जिला स्तरीय स्वास्थ्य कर्मियों के कार्यो एवं उपस्थिति की निगरानी जिला परिषद द्वारा करके उपायुक्त एवं सिविल सर्जन को रिपोर्ट भेजी जाएगी।
- उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर मुखिया की अध्यक्षता में गठित स्वास्थ्य समिति को दस हजार रूपये का अनटाइड फंड तथा उप स्वास्थ्य केंद्र के रखरखाव हेतु अनुदान की राशि प्राप्त होगी।
- ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति के व्यय की निगरानी तथा ग्राम हेल्थ एक्शन प्लान बनाने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।
- प्रखंड स्तर पर अनटाइड फंड तथा अस्पताल प्रबंधन समिति के फंड का सदुपयोग ब्लॉक मिशन के पर्यवेक्षण में होगा।
- जिला अस्पताल प्रबंधन सोसाईटी तथा जिला स्वास्थ्य सोसाईटी के व्यय की निगरानी जिला परिषद द्वारा की जाएगी।
- पंचायत, प्रखंड एवं जिला स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी सभी केंद्रों के व्यय एवं लेखा की निगरानी संबंधित स्तर की पंचायत संस्था द्वारा की जाएगी। व्यय संबंधी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाएगा। सभी स्तरों पर वित्तीय समीक्षा, अंकेक्षण, उपयोगिता प्रमाणपत्र इत्यादि ससमय उपलब्ध कराने में भी पंचायतों की भूमिका होगी।

क्या कर सकते हैं पंचायत प्रतिनिधि

- स्वास्थ्य उपकेंद्र की स्थिति कैसी है, इसकी जांच पंचायत प्रतिनिधि कर सकते हैं। भवन की स्थिति कैसी है, उपलब्ध सेवाओं की जानकारी दीवार पर लिखी गयी है या नहीं, एएनएम की संख्या कितनी है, वह नियमित रूप से अपना काम करती है या नहीं, वह उपकेंद्र में ही रहती है या दूर, उसे आवास मिला है या नहीं, पेयजल, बिजली इत्यादि की स्थिति कैसी है?
- ममता वाहन की स्थिति कैसी है? जननी सुरक्षा योजना का लाभ मिलता है या नहीं? जन्म निबंधन होता है या नहीं?

- स्वास्थ्य उपकेंद्र में प्रसव की सुविधा है या नहीं, किस प्रकार की सुविधाएं एवं दवाएं उपलब्ध हैं, पिछले माह कितने प्रसव हुए?
- प्रतिदिन औसत कितने मरीज आते हैं? ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस नियमित रूप से मनाया जाता है या नहीं? उस दिन क्या सुविधाएं मिलती हैं? सहिया कार्यरत है या नहीं? वह प्रशिक्षित है या नहीं? ग्राम स्वास्थ्य समिति कार्यरत है या नहीं? उसे अनटाइड फंड मिलता है या नहीं? उसका क्या उपयोग हुआ?

पंचायत की कोशिश से क्या होगा लाभ?

- स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति बेहतर होगी और जनसमुदाय को इसका लाभ मिलेगा
- स्वास्थ्य कर्मियों में जवाबदेही आयेगी
- बीमारियां कम होंगी
- शिशु मातृदर एवं मातृ मृत्युदर में कमी आयेगी

महिलाओं-बच्चों का स्वास्थ्य एवं पोषण

स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार लाना पंचायत का एक प्रमुख काम है। महिलाओं और बच्चों के लिए आंगनबाड़ी की इन सेवाओं को बेहतर बनाने में भी पंचायत बड़ी भूमिका निभा सकती है-

- पूरक पोषाहार - सात महीने से छह साल तक के बच्चों एवं महिलाओं के लिए
- टीकाकरण - छह साल तक के बच्चों एवं गर्भवती के लिए
- स्वास्थ्य जांच एवं रेफरल सेवाएं - छह साल तक के बच्चों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के लिए
- स्कूल पूर्व शिक्षा - तीन से छह साल तक के बच्चों के लिए
- पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा - किशोरियों एवं 15 से 45 साल तक की महिलाओं के लिए

समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग में पंचायत के अधिकार

आंगनबाड़ी में पंचायत की भूमिका

- आंगनबाड़ी केन्द्र को समय पर खोलने और नियमित संचालन में निगरानी रखना।
- किसी अनियमितता पर अपनी रिपोर्ट एवं अनुशंसा सीडीपीओ के पास भेजा।
- पूरक पोषाहार के लिए सही लाभुकों का चयन करना, 03 वर्ष से 06 वर्ष तक बच्चों को गर्म खाना एवं गर्भवती एवं धात्री माताओं तथा छह माह से तीन वर्ष के बच्चों को टी. एच.आर. (टेक होम राशन) वितरण में सही लाभुकों को ही लाभ मिले, आंगनबाड़ी केन्द्र में उनकी शत प्रतिशत उपस्थिति हो।
- इन कार्यों के लिए पंचायत प्रतिनिधि सक्रिय योगदान देंगे तथा सेविका एवं सहायिका को आवश्यक दिशा-निर्देश को दे सकेंगे।
- भारत सरकार के निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप पूरक पोषाहार की उपलब्धता एवं गुणवत्ता की जाँच करने की जवाबदेही पंचायत की होगी। पंचायत इसमें अनियमितता की जांच करके सीडीपीओ को सुझाव एवं अनुशंसा भेज सकती हैं।
- आंगनबाड़ी केन्द्र में स्कूल पूर्व शिक्षा के संचालन में पंचायत सहयोग एवं सुझाव प्रदान करेगी। सरकार द्वारा आपूर्ति की गयी स्कूल पूर्व शिक्षा कीट्स के प्रयोग को बढ़ावा देंगे।
- ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस पर पंचायत प्रतिनिधि अपनी उपस्थिति में टीकाकरण यानी प्रतिरक्षण को बढ़ावा देने में सहयोग करेंगे। टीएचआर को अपनी निगरानी में सही लाभुकों के बीच सही मात्रा में वितरण कराना तथा वितरण सूची पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना भी पंचायत प्रतिनिधियों का कर्तव्य है।
- कुपोषण के विरूद्ध अभियान के तहत शत प्रतिशत बच्चों की स्क्रीनिंग एवं कुपोषित बच्चों को दुगुना पोषाहार वितरण तथा क्रिनिकल ट्रिटमेंट के लिए चिन्हित बच्चों को एम.टी. सी. भेजने तथा एम.टी.सी. से वापस आने के पश्चात प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय फालोअप हेतु आंगनबाड़ी केंद्र स्तर पर निगरानी में पंचायत की प्रमुख भूमिका होगी। समुदाय आधारित जागरूकता में भी पंचायत की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
- आंगनबाड़ी केन्द्र पर एएनएम एवं स्वास्थ्य सहिया के काम की भी पंचायत द्वारा निगरानी रखी जायेगी। मेडिकल किट उपयोग के लिए लाभुकों को प्रेरित करना तथा स्टॉक की जांच भी पंचायत द्वारा की जायेगी।

क्या कर सकते हैं पंचायत प्रतिनिधि?

- अपने पंचायत क्षेत्र की प्रत्येक आंगनबाड़ी को आदर्श केंद्र बनाने का संकल्प लेना।
- आंगनबाड़ी योजना की पूरी जानकारी लेकर उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
- माता-समिति का गठन एवं संचालन करना।
- एम.यू.ए.सी. टेप और डब्ल्यू.एच.ओ. के मापदण्ड के आधार पर कुपोषण की पहचान में सहयोग करना।
- अति गंभीर कुपोषित बच्चों को कुपोषण उपचार केन्द्र में भेजने में मदद करना।
- ममता वाहन का लाभ दिलाना।

- शत-प्रतिशत संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहन देना।
- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम को बढ़ावा देना।
- घर आधारित नवजात शिशु प्रबंधन पर सहिया का कम से कम एक माह में 7 बार भ्रमण सुनिश्चित करना।
- आंगनबाड़ी सेविका का माह में तीन बार गृह भ्रमण सुनिश्चित करना।
- घर में प्रसव हुए बच्चों का 21 दिन के अन्दर जन्म प्रमाणपत्र लेने को प्रेरित करना।

आंगनबाड़ी जाने पर क्या देखें पंचायत प्रतिनिधि?

- आंगनबाड़ी समय पर खुलती है या नहीं।
- आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और एएनएम समय पर आती हैं या नहीं।
- आंगनबाड़ी में बच्चे नियमित रूप से आते हैं या नहीं।
- कितने बच्चे नियमित आते हैं, कितने अनियमित।
- उनकी सूची रखी जाती है या नहीं।
- पोषाहार समय पर मिलता है या नहीं।
- भोजन पर्याप्त मात्रा में मिलता है या नहीं।
- भोजन स्वादिष्ट है या नहीं।
- हर छोटे बच्चे, गर्भवती और धात्री माताओं और किशोरियों को पोषाहार मिलता है या नहीं।
- भोजन की आपूर्ति या उसकी गुणवत्ता को लेकर लाभुक कोई शिकायत करते हैं या नहीं।
- परोसने के बाद भोजन बचता है या नहीं।
- आंगनबाड़ी में अनाज का भण्डारण एवं रखरखाव साफ-सुथरे तरीके से होता है या नहीं।
- किसी जाति या समूह विशेष के बच्चों या महिलाओं से कोई भेदभाव किया जाता है या नहीं।
- बच्चों को खेलकूद के लिए पर्याप्त स्थान और सामग्री है अथवा नहीं।
- बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा दी जा रही है या नहीं।
- आंगनबाड़ी में स्वच्छ पेयजल, शौचालय और रसोई घर की समुचित व्यवस्था है या नहीं।
- आंगनबाड़ी में टीकाकरण होता है या नहीं।
- आंगनबाड़ी में वजन मशीन सही काम करती है या नहीं।
- बच्चों का समय पर वजन लेकर रजिस्टर में लिखा जाता है या नहीं।
- बच्चों एवं महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण होता है या नहीं।
- पर्यवेक्षक एवं सीडीपीओ द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र की जांच होती है या नहीं।
- आंगनबाड़ी केंद्र क्षेत्र में अति-कुपोषित बच्चों की सूची है या नहीं।
- उन्हें इलाज एवं विशेष पोषाहार मिल रहा है अथवा नहीं।

पंचायत की कोशिश से क्या होगा लाभ?

- बच्चों के कुपोषण की रोकथाम होगी
- बच्चों में कुपोषण से बीमारी कम होगी
- बच्चों का शारीरिक, मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक विकास होगा
- बच्चों में स्कूल जाने की आदत विकसित होगी
- महिलाओं एवं किशोरियों का स्वास्थ्य बेहतर होगा

पोषाहार की मात्रा प्रतिमाह

क्र	पोषाहार	गर्भवती एवं धात्री मां	सात माह से तीन साल के बच्चे
1	चावल	2 किलो	1.5 किलो
2	दाल	आधा किलो	375 ग्राम
3	सोयाबीन बड़ी	आधा किलो	250 ग्राम
4	रिफाईन तेल	250 ग्राम	125 ग्राम
5	चीनी	625 ग्राम	950 ग्राम

हमारा पेयजल, हमारे शौचालय

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत हर ग्रामीण को पर्याप्त पेयजल देने की योजना है। इसमें पंचायत की बड़ी भूमिका है। विभागीय योजनाओं के संचालन एवं क्रियान्वयन में जनसमुदाय की भागीदारी सुनिश्चित की गयी है। पंचायतों को कार्य और निधि सौंपे गये हैं। संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टी.एस.सी.) तथा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन.आर.डब्ल्यू.) में योजना बनाने और क्रियान्वयन की जिम्मेवारी पंचायतों की है।

निर्मल भारत अभियान के तहत शौचालय बनाने में सरकार मदद करती है। इसके लिए सरकार 4600 रुपये देती है, लाभुक खुद 900 रुपये लगाता है और मनरेगा से 4002 रुपये का काम कराया जा सकता है। इस तरह एक शौचालय के लिए 9502 रुपये खर्च किये जा सकते हैं। कचरा प्रबंधन के लिए भी योजना है।

ग्राम पेयजल स्वच्छता समिति (वी.डब्लू.एस.सी.)

- हर गांव में एक ग्राम पेयजल स्वच्छता समिति (वी.डब्लू.एस.सी.) होती है। इसमें नौ अथवा ग्यारह सदस्य होते हैं। इसके सदस्यों का चयन ग्रामसभा की विशेष बैठक में होता है। कम से कम 50 फीसदी महिला सदस्यों का होना अनिवार्य है।
- ग्रामसभा में एक जल सहिया का भी चयन करेगी। जल सहिया महिला होगी और वी. डब्ल्यू.एस.सी. की कोषाध्यक्ष के तौर पर कार्य करेगी। पानी भरक समुदाय की महिला को सहिया चयन में प्राथमिकता दी गई है।

वी.डब्ल्यू.एस.सी. का कार्य -

- लोगों को खेतों में शौच के बजाय घरों में शौचालय बनाने तथा सार्वजनिक स्थलों पर शौचालय बनाने के लिए प्रेरित करना। शौचालय निर्माण के साथ ही इसके नियमित इस्तेमाल के लिए प्रेरित करना।
- 24 घंटे सातों दिन पेयजल आपूर्ति की योजना बनाना और लागू करना।
- गांव में पेयजल एवं स्वच्छता की स्थिति का आकलन करके आवश्यकता के अनुसार व्यक्तिगत शौचालयों, सार्वजनिक शौचालयों, घर-घर पेयजल आपूर्ति संबंधी योजनाओं के तहत लाभुकों का चयन करके प्रस्ताव बनाना।
- प्रस्ताव जिला पेयजल स्वच्छता मिशन को सौंपे जायेंगे। प्रस्ताव के आलोक में जिला पेयजल स्वच्छता मिशन की ओर से वी.डब्ल्यू. एस.सी. के बैंक एकाउंट में राशि उपलब्ध करायी जायगी।
- वी.डब्ल्यू.एस.सी. अपनी देख-रेख में पेयजल स्वच्छता संबंधी कार्यक्रमों को गांव स्तर पर लागू करेगी।
- झारखण्ड के लगभग 55 फीसदी राजस्व गांवों में वी.डब्ल्यू.एस.सी. का चयन हुआ है। हर पंचायत के प्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र में ग्राम पेयजल स्वच्छता समिति का गठन करना चाहिए ताकि इन योजनाओं का लाभ मिल सके।

जिला पेयजल स्वच्छता मिशन (डी.डब्लू.एस.एम.)

- डी.डब्लू.एस.एम. जिले में शासी निकाय के तौर पर कार्य करेगी। जिले में पेयजल स्वच्छता से संबंधित मामलों पर राज्य के नीति के अलावे में नीतिगत फैसले लेगी, क्रियान्वयन की प्रक्रिया तक करेगी, वित्तीय आवंटन को संतुष्ट करेगी तथा डी.डब्लू.एस. सी. के प्रतिवेदन पर विचार करेगी।

- जिला परिषद के अध्यक्ष इस मिशन के अध्यक्ष होंगे। बैठक आयोजित करना तथा एजेण्डा पेश करना मिशन अध्यक्ष की जिम्मेवारी होगी। उपायुक्त इस मिशन के कार्यकारी अध्यक्ष होंगे।
- डी.डब्लू.एस.सी. जिले में पेयजल एवं स्वच्छता संबंधी कार्यक्रमों को लागू करने वाला निकाय है। राज्य सरकार द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता कार्यक्रमों की राशि डी.डब्लू.एस.एम. को दी जाती है।

पेयजल एवं स्वच्छता के लिए क्या करें पंचायत प्रतिनिधि?

- यह देखें कि हर घर को सुरक्षित पेयजल मिलता है या नहीं?
- आंगनबाड़ी, स्कूल, पंचायत भवन, समुदायिक भवन एवं बाजार-हाट में पेयजल एवं शौचालय की सुविधा कैसी है?
- हैंडपंप की स्थिति कैसी है, पाइप से पेयजल की आपूर्ति होती है या नहीं?
- ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति सही तरीके से काम कर रही है या नहीं, जल सहिया की क्या भूमिका है?
- स्कूल और आंगनबाड़ी में शौच के बाद तथा भोजन से पहले साबुन से हाथ धोने की प्रवृति है या नहीं?
- हर गांव को खुला शौच मुक्त बनाने में मदद कर सकते हैं।
- यह देखें कि किन घरों में शौचालय नहीं है, उन्हें आप इसके नुकसान के बारे में बताकर शौचालय निर्माण के लिए प्रेरित कर सकते हैं, सरकारी योजना का लाभ दिला सकते हैं।
- मनरेगा के समन्वय के आधार पर कितने शौचालय बनाये गये?

पंचायत की कोशिश से क्या होगा लाभ?

- जल प्रदूषण से होने वाली बीमारियां कम होंगी
- लोगों को सुरक्षित पेयजल मिलेगा
- गांवों को खुला शौच मुक्त बनाने से स्वच्छता आयेगी और बीमारियां कम होंगी

जन वितरण प्रणाली – पंचायत के काम

देश में जरूरतमंद लोगों को खाद्य सुरक्षा में जनवितरण प्रणाली की प्रमुख भूमिका है। इसे सस्ते राशन की दुकान कहा जाता है। इसके तहत गरीबों को विभिन्न खाद्य एवं अन्य सामग्री सस्ती दर पर उपलब्ध करायी जाती है। जैसे- गेहूं, चावल, चीनी, किरासन तेल इत्यादि।

इसमें बीपीएल एवं अतिरिक्त बीपीएल के अलावा एपीएल को भी सामग्री मिलती है। झारखंड में संचालित योजनाएं इस प्रकार हैं-

- **मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना -** इसमें बीपीएल, अतिरिक्त बीपीएल एवं अंत्योदय योजना के लगभग 35 लाख 38 हजार परिवारों को प्रतिमाह 35 किलो चावल एक रुपये किलो की दर से दिया जाता है।
- **अन्नपूर्णा योजना -** साठ साल या अधिक आयु के ऐसे बीपीएल व्यक्ति, जिन्हें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा, उन्हें अन्नपूर्णा योजना के तहत प्रति व्यक्ति प्रति माह दस किलो चावल निशुल्क दिया जाता है।
- **एपीएल योजना -** एपीएल परिवारों को प्रतिमाह 7.5 किलो गेहूं 6.88 रुपये किलो तथा 7.5 किलो चावल 9.21 रुपये प्रति किलो की दर पर दिया जाता है।
- **किरासन तेल वितरण योजना -** शहर के बीपीएल एवं एपीएल लोगों को प्रतिमाह प्रतिव्यक्ति तीन लीटर किरासन तेल मिलता है। ग्रामीण क्षेत्र के बीपीएल एवं एपीएल के लिए प्रतिमाह प्रतिव्यक्ति चार लीटर किरासन तेल मिलता है। इसकी दर दूरी के अनुसार 14.38 रुपये से 15.38 रुपये के बीच होती है।
- **रिफाइन आयोडीनयुक्त नमक -** बीपीएल परिवारों को प्रतिमाह दो किलो नमक पचास पैसे किलो की दर पर देने की योजना है।
- **मुख्यमंत्री दाल-भात योजना -** अस्पताल, बस स्टैंड, बाजार इत्यादि में दोपहर में पांच रुपये में भरपेट भोजन के केंद्र खोले गये हैं।
- धान अधिप्राप्ति योजना
- ग्रामीण अनाज बैंक योजना
- गोदाम निर्माण योजना
- उपभोक्ता संरक्षण

इन सभी योजनाओं के पर्यवेक्षण में पंचायत की प्रमुख भूमिका है। भारत सरकार द्वारा जारी निर्देश के अनुसार इन योजनाओं में बीपीएल लाभुकों की सूची जनवितरण दुकानों के अलावा ग्राम पंचायतों में भी लटकायी जाये। इस सूची में उन्हें दिये गये लाभ और उसकी राशि की भी जानकारी हो। जनवितरण प्रणाली के पर्यवेक्षण के लिए पंचायतों की समिति बनाने तथा सामाजिक अंकेक्षण का भी प्रावधान है। इसका उद्देश्य सही लाभुकों तक वास्तविक लाभ पहुंचाना है।

पंचायत प्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र के जनवितरण केंद्रों में राशन व किरासन तेल के सही उठाव तथा उचित मात्रा एवं निर्धारित दर पर वितरण का पर्यवेक्षण करने तथा संबंधित रजिस्टर को सत्यापित करने का अधिकार है। कोई अनियमितता होने पर प्रखंड या जिला आपूर्ति पदाधिकारी के पास सूचना भेजी जा सकती है। चावल दिवस पर भी पंचायत प्रतिनिधियों की उपस्थिति होगी।

क्या कर सकते हैं पंचायत प्रतिनिधि?

- यह देखें कि जनवितरण की दुकान नियमानुसार खुलती है या नहीं? निर्धारित

तिथि पर राशन मिलता है या नहीं?

- राशन दुकान पर स्टॉक की मात्रा तथा लाभुकों के नाम की सूची टांगी गयी है या नहीं?
- बीपीएल के लोगों को सही समय पर सही मात्रा में राशन मिलता है या नहीं? उनका राशन कार्ड किसके पास है?
- क्या सही दर पर और सही मात्रा में सामग्री दी जाती है?

पंचायत की कोशिश से क्या होगा लाभ?

- क्षेत्र के लोगों को उनका अधिकार मिलेगा।
- जनवितरण प्रणाली में पारदर्शिता आएगी।
- भ्रष्टाचार का खात्मा होगा।

कृषि विकास में पंचायत के काम

ग्रामीण विकास के लिए जरूरी है कृषि का भी विकास होना। झारखंड के कृषि एवं गन्ना विकास विभाग ने पंचायतों को निम्नलिखित काम सौंपे हैं-

- कृषि कार्य यथा बीज की आवश्यकता का आकलन एवं वितरण, उर्वरक का आकलन एवं वितरण, खाद्यान्न अधिप्राप्ति एवं भंडारण, अन्य कृषि उपादानों, उपकरणों का वितरण एवं अन्य कृषि कार्यो के सफल कार्यान्वयन का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण।
- कृषि कार्यो के सफल कार्यान्वयन हेतु सुपात्र लाभान्वितों का चयन करना।
- कृषकों को कृषि ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना एवं किसान क्रेडिट कार्ड वितरण इत्यादि।
- जिला, प्रखण्ड, पंचायत स्तरीय प्रचार-प्रसार, प्रदर्शनी, कार्यशाला इत्यादि का आयोजन कराना।
- कृषक को फसल बीमा कराने हेतु प्रेरित करना तथा उसका भुगतान सुनिश्चित कराना।

जनसेवक के संबंध में पंचायत की शक्तियां एवं कार्य

- जनसेवकों की नियुक्ति, अन्तः प्रखण्ड स्थानान्तरण तथा अनुशासनात्मक कार्रवाई का काम जिला परिषद द्वारा होगा। जनसेवकों पर प्रशासनिक नियंत्रण, अंतः पंचायत स्थानान्तरण तथा सभी प्रकार के अवकाश संबंधी काम पंचायत समिति द्वारा किये जायेंगे। उनके वार्षिक चारित्रिक अभियुक्ति लेखन संबंधी कार्य पंचायत समिति एवं जिला परिषद दोनों के द्वारा किये जाएंगे।

प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष पदों के संबंध में पंचायत की शक्तियां

- इन पदाधिकारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण का दायित्व जिला परिषद एवं पंचायत समिति का होगा।
- इनके आकस्मिक अवकाश का दायित्व पंचायत समिति को दिया गया है।
- इनके वार्षिक चारित्रिक अभियुक्ति लेखन का कार्य जिला परिषद करेगी।

जिला स्तर के कृषि पदाधिकारी के संबंध में पंचायत की शक्तियां

- जिला कृषि पदाधिकारी, जिला उद्यान पदाधिकारी एवं जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी पर प्रशासनिक नियंत्रण एवं आकस्मिक अवकाश का दायित्व जिला परिषद का होगा।

कृषि के संबंध में पंचायत की निधि

- सभी तरह के बीज अनुदान, कृषि यंत्र एवं उपकरण अनुदान, माईक्रो इरिगेशन उपकरण अनुदान तथा कृषि संबंधी अन्य देय अनुदान की निधि का उपयोग जिला परिषद के माध्यम से होगा।
- प्रचार प्रसार, कार्यशाला, सेमिनार, कृषि मेला इत्यादि आयोजन की निधि का उपयोग जिला परिषद एवं पंचायत समिति के स्तर से होगा।

क्या कर सकते हैं पंचायत प्रतिनिधि?

- अपनी पंचायत क्षेत्र में कृषि संबंधी आवश्यकताओं का पता लगाकर उसके संबंध में सही योजना बनाकर किसानों को उसका लाभ दिलाएं।
- कृषि से जुड़े कर्मचारियों एवं अधिकारियों से नियमित रूप से संपर्क में रहकर सभी

योजनाओं को समझने और लागू करने का प्रयास करें।

- कृषि संबंधी कर्मचारियों एवं अधिकारियों के कामकाज पर नजर रखते हुए उन्हें अपने दायित्व के प्रति जवाबदेह बनाने का प्रयास करें।
- कृषि संबंधी योजनाओं के प्रचार प्रसार की योजना बनाकर किसानों को हर प्रकार की जानकारी दें।

पंचायत की कोशिश से क्या होगा लाभ?

- क्षेत्र के किसानों को कृषि के विकास का अवसर मिलेगा।
- क्षेत्र में कृषि का विकास होने से आर्थिक समृद्धि आयेगी।
- कृषि योजनाओं के क्रियान्वयन में बिचौलियों का प्रवेश मुश्किल होगा।

परिकल्पना एवं परामर्श
आर. पी. सिंह, भा.व.से.
निदेशक, सर्ड

कुमार प्रेमचंद
पीएमई ऑफिसर, यूनिसेफ

संपादन
डॉ विष्णु राजगढ़िया
राज्य समन्वयक
झारखंड पंचायत महिला रिसोर्स सेंटर

सुबीर कुमार दास
यूनिसेफ कंसल्टेंट

सहयोग
बबला
दिसंबर 2013

प्रकाशक
झारखंड पंचायत महिला रिसोर्स सेंटर
सर्ड, हेहल, रांची

मुद्रक
कैलाश पेपर कन्वर्शन प्रा. लि., रांची

रेखांकन
ए एम आर - आंध्र प्रदेश एकेडमी ऑफ रूरल डवलपमेंट की पुस्तिका - ग्रामसभा - से साभार

(वैधानिक सूचना - इस पुस्तिका में दी गयी सभी जानकारियां महज सामान्य समझदारी बढ़ाने के मकसद के तहत मूल नियमों को सरल करके प्रस्तुत की गयी है। किसी भी आधिकारिक उपयोग के लिए संबंधित विभागों के मूल नियमों को देखना लाभकारी होगा। इस पुस्तिका किसी त्रृटि के संबंध में सूचना देने की कृपा करेंगे।)

झारखंड पंचायत महिला रिसोर्स सेंटर

राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, हेहल, रांची - 834005

jpwrc4@gmail.com • jharkhand-panchayat.org

unicef
unite for children